

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का०आ०सं०-भवन-03/स्था० विविध-25/2023.....13.....पटना, दिनांक 19/1/26

कार्यालय आदेश

स्व० राधेश्याम यादव तदेन कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का स्वयं की चिकित्सा हेतु बाध्यकारी परिस्थिति में बिहार राज्य के बाहर दिनांक-05.03.2022 से 24.06.2022 तक कराये गये अर्न्तवासी चिकित्सा हेतु बिहार उपचार नियमावली के नियम-26 के तहत घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

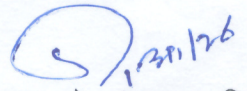
ह०/-

(शिव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- भवन-03/स्था० विविध-25/2023.....666(च).....पटना, दिनांक:- 19/1/26

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता (उत्तर)/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज एवं आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।